

बिहार सरकार
पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

कार्यालय आदेश

संख्या-1/पि0वर्ग-सू0अ0-15/2010...../सूचना का अधिकार अधिनियम- 2005 की धारा-5 की उप धारा 1 एवं 2 में निहित प्रावधानों तथा सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4(1) के नियम (XVI) के आलोक में पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अधीन अपीलीय प्राधिकार, लोक सूचना पदाधिकारी तथा सहायक लोक सूचना पदाधिकारी की पूर्व की नियुक्ति संबंधी विभागीय आदेश ज्ञापांक-2315 दिनांक 21.11.13 एवं 771 दिनांक-26.03.15 को इस हद तक संशोधित किया जाता है:-

- | | |
|-------------------------------|--|
| (1) प्रथम अपीलीय प्राधिकार | श्री दिनेश लाल, अवर सचिव, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग। |
| (2) लोक सूचना पदाधिकारी | श्री शम्भुनाथ उपाध्याय, प्रशाखा पदाधिकारी, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग। |
| (3) सहायक लोक सूचना पदाधिकारी | श्री सत्यनारायण प्रसाद, प्रशाखा पदाधिकारी, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग। |

ह०/-
(दिनेश लाल)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक- पि0व0स्था0-10-03/2007-

पटना, दिनांक-


प्रतिलिपि- सचिव, राज्य सूचना आयोग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

ह०/-
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-पि0व0स्था0-10-03/2007-1485

पटना, दिनांक-25-5-16

प्रतिलिपि- मुख्यमंत्री के सचिव/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/मंत्रिमंडल सचिवालय, बिहार, पटना/सभी आयुक्त एवं सचिव/सभी विभागीय प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सचिव प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिलाधिकारी/सचिव के निजी सहायक, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग/श्री दिनेश लाल, अवर सचिव, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग/सभी प्रशाखा पदाधिकारी/संबंधित सहायक, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।


सरकार के अवर सचिव।